भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1468
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुर्शिदाबाद केंद्र में धन की कमी

†1468. **श्री जगन्नाथ सरकार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुर्शिदाबाद केंद्र केंद्रीय निधियों की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत दस वर्षों के दौरान इस परिसर के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और छात्र-छात्राओं की कार्यक्रम (पाठ्यक्रम)-वार वर्तमान संख्या कितनी है;
(ग) क्या कम नामांकन का कारण सीमित पाठ्यक्रम, खराब बुनियादी ढांचा और धन की कमी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) स्वीकृत संकाय पदों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी रिक्तियां हैं और अस्थायी या अतिथि संकाय पर निर्भरता कितनी है;
(ङ) क्या धन की कमी ने छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्रभावित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) पश्चिम बंगाल में इस परिसर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संकाय की कमी को दूर करने, शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करने और पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) एक स्वायत्त संस्थान है, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 द्वारा स्थापित किया गया है। यह अपने अधिनियम और उसके तहत बनाई गई संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों आदि द्वारा शासित होता है। विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय

लेते हैं, जिसमें इनका मुर्शिदाबाद केन्द्र भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मुख्य परिसर और इसके केन्द्रों के संबंध में इसकी वास्तविक आवश्यकताओं, पिछले वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यय के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय को निधियां आवंटित करता है। मुख्य परिसर और इन केंद्रों में बुनियादी ढांचे, छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर व्यय की पूर्ति एएमयू को इसके कार्यकरण के लिए स्वीकृत निधि से की जाती है। मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किसी भी केन्द्र के लिए अलग से निधियां प्रदान नहीं करता है।

मुर्शिदाबाद केन्द्र सहित अन्य केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा पाठ्यक्रमों की मांग, गुणवत्तायुक्त संकाय की उपलब्धता और केन्द्र के लक्षित क्षेत्र/स्थान में छात्रों/अभिभावकों की आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर किया जाता है। चूंकि रोजगार से जुड़े होने के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अत्यधिक मांग है, इसलिए ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने की व्यवहार्यता बहुत मजबूत है। इस प्रकार, केन्द्र में छात्रों का नामांकन मुख्य रूप से इन पैरामीटरों से जुड़ा हुआ है। छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।

मुर्शिदाबाद केंद्र में पाठ्यक्रम एएमयू द्वारा नियुक्त संकाय द्वारा पढ़ाए जाते हैं। भारत सरकार ने एएमयू सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वर्ष 2022 से मिशन मोड भर्ती योजना के तहत सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कहा था। मंत्रालय एएमयू सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

अनुलग्नक

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुर्शिदाबाद केंद्र में धन की कमी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1468 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	वर्तमान छात्र संख्या
1.	बीए एलएलबी (5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम)	204
2.	एमबीए (2 वर्ष का कार्यक्रम)	108
3.	बी.एड.	64
4.	बीबीए (4 वर्षीय स्व-वित्तपोषण कार्यक्रम)	41

*****